

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-

संख्या-12/निजी-7007/2024 सा0प्र0- /श्री उज्ज्वल कुमार, बि0प्र0से0 (को0क्र0-960/24), वरीय उप समाहर्ता, कैमूर द्वारा स्वयं के विवाह हेतु दिनांक-01.02.2026 से दिनांक-21.02.2026 तक कुल-21 (इक्कीस) दिनों की उपभोग की गयी छुट्टी की बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार, बि0प्र0से0 को उक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त उनके पक्ष में कुल-66-21=45 दिनों की उपार्जित छुट्टी एवं कुल-20 दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी आदेय होगी।

3. श्री कुमार, बि0प्र0से0 को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-26.06.2015 की कडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी के उपभोग के उपरान्त वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह0/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-7007/2024 सा0प्र0- 5374 /पटना, दिनांक 20.3.26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री उज्ज्वल कुमार, बि0प्र0से0 (को0क्र0-960/24), वरीय उप समाहर्ता, कैमूर/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।